सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 350 राँची, गुरुवार, 11 चैत्र, 1938 (श०)

31 मार्च, 2016 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

11 जनवरी, 2016

1. उपायुक्त, साहेबगंज का पत्रांक-15(मु0)/गो0, दिनांक 19 अक्टूबर, 2005
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का संकल्प सं0-656, दिनांक 21 जनवरी, 2012, पत्रांक-3424, दिनांक 10 अप्रैल, 2014, पत्रांक-4255, दिनांक 9 मई, 2015 एवं पत्रांक-7316, दिनांक 21 जुलाई, 2014
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 33, दिनांक 31 जनवरी, 2014
4. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक-2564, दिनांक 30.10.2015

संख्या- 5/आरोप-1-656/2014 का॰-209--श्री सुखेन सोरेन, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक 517/03, गृह जिला- मुंगेर), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरहेट, जिला-साहेबगंज के पद पर इनके कार्यावधि से संबंधित प्रपत्र- 'क' में आरोप उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-15(मु0)/गो0, दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 के माध्यम से प्रतिवेदित है ।

श्री सोरेन के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में निम्न आरोप लगाये गये है:-

1. दिनांक 16 दिसम्बर, 2004 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं। इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछे जाने पर आदेश की अवहेलना करते हुए श्री सोरेन द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया।

2. दिनांक 4 जनवरी, 2005 को पूर्व निर्धारित जिला स्तरीय राजस्व एवं सहाय्य संबंधित बैठक में श्री सोरेन द्वारा भाग नहीं लिया गया एवं पूछने पर स्पष्टीकरण का जवाब भी समर्पित नहीं किया गया।

3. दिनांक 26 अप्रैल, 2003 को सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित समीक्षा बैठक में श्री सोरेन द्वारा भाग नहीं लिया गया, जिसके लिए ज्ञापांक-559/गो0, दिनांक 30 अप्रैल, 2005 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। परन्तु श्री सोरेन द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए जवाब समर्पित नहीं किया गया।

4. अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज के पत्रांक-440/रा0, दिनांक 13 अगस्त, 2005 द्वारा सूचित किया गया है कि आपदा प्रबंधक विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में सम्पूर्ण राज्य में सूखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए साहाय्य जलाशय योजना निर्माण हेतु साहेबगंज जिला को कुल 9,00,90,000/- (नौ करोड़ नब्बे हजार रूपये) का आवंटन उपलब्ध कराया गया था। प्राप्त आवंटन के विरूद्ध सभी प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत की जनसंख्या के अनुपात में पंचायतों में साहाय्य जलाशय योजना चयनित करने का निर्देश प्राप्त था। बरहेट प्रखण्ड अन्तर्गत जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2004-05 में साहाय्य जलाशय योजना प्राक्कलित राशि 85,300/- प्रति जलाशय की दर से कुल 139 साहाय्य जलाशय योजना की स्वीकृति

दिनांक 8 दिसम्बर, 2004 को दी गई, जिसके लिए उन्हें कुल 1,34,40,000/- (एक करोड़ चौतीस लाख चालीस हजार रूपये) उपलब्ध करा दिया गया। योजनाओं को योजना प्रारम्भ करने की तिथि से 100 दिनों के अन्दर पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था। परन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरहेट द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया। योजनाओं को ससमय पूरा करने के लिए अनेकों बार पत्र एवं स्मार अपर समाहर्त्ता के द्वारा दिया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरहेट दिनांक 01 जुलाई, 2005 को आयोजित बैठक में भी उपस्थित नहीं हुए तथा अभिलेख, मापी पुस्तिका एवं सहाय्य जलाशय योजना का प्रतिवेदन भी नहीं भेजा। उनका प्रतिनिधित्व सहायक अभियंता द्वारा किया गया, जो बैठक में उठाये गये किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे। उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा गया, जो उन्होंने अपने पत्रांक- शून्य, दिनांक 09 जुलाई, 2005 द्वारा समर्पित किये, जो संतोषजनक नहीं पाया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में उनके द्वारा उत्तरदायित्व के प्रति अरूचि एवं कार्य शिथिलता का प्रदर्शन किया गया है, जो एक सरकारी सेवक के रूप में क्षम्य नहीं है।

5. उपायुक्त द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2005 को बरहेट प्रखण्ड का भ्रमण किया गया था तथा प्रखण्ड में चल रही विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान सनमनी पंचायत के अन्तर्गत आर0ई0ओ0 सड़क से बथान ग्राम तक स्टोन मेटल सड़क योजना की प्राक्कलित राशि 6,78,000/- (छः लाख अठहत्तर हजार) जिसकी स्वीकृति आदेश संख्या 693, दिनांक 27 अगस्त, 2004 जि0ग्रा0वि0अभि0, साहेबगंज द्वारा दी गई है, में भ्रमण की तिथि तक मिट्टी कार्य भी पूरा नहीं कराया गया है, जो कार्य हुआ है उसकी गुणवर्त्ता असंतोषजनक है। योजना पर मापी पुस्त के अनुसार कुल 1,78,200.00 रूपये का कार्य किया गया है, परन्तु उसके विरूद्ध अभिलेख में कोई मस्टर रॉल या विपत्र संधारित नहीं किया गया।

सनमनी पंचायत अन्तर्गत ही सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रभाग-II के अन्तर्गत रोहरा ग्राम में पार्ट कूप का निर्माण, जिसकी प्राक्कलित राशि 46,000.00 रूपये है, का निरीक्षणोंपरान्त योजना नरेश ठाकुर के घर के परिसर में निर्मित पाया गया, जबकि

किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत लाभ वाले योजना का कार्यान्वयन करना योजना के निर्देशों का उल्लंघन है। योजना भौतिक रूप से पूर्ण पाया गया, परन्तु अभिलेख के अनुसार एक बार भी संबंधित कनीय अभियंता द्वारा मापी नहीं कराया गया है। अभिलेख में कोई भी विपत्र एवं मस्टर रॉल संधारित नहीं पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत सेवक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी और संबंधित कनीय अभियंता की मिलीभगत से योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता बरती गई। इसी प्रकार योजना संख्या- 3/04-05, 2/04-05 एवं 1/04-05 में भी उपर्युक्त अनियमितता बरती गई।

6. श्री आनन्द मोहन सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 2005 को बरहेट प्रखण्ड में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें अनकों अनियमितता पाई गई।

जाँच पदाधिकारी द्वारा संख्या- 11/04-05, 12/04-05, 18/04-05, 23/04-05, 21/04-05, 50/04-05, 5/04-05, 7/04-05 एवं 1/05-06 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अभिलेख में विपत्र एवं मस्टर रॉल संधारित नहीं पाया गया तथा अनेकों अनियमितता पाई गई।

7. अपर समाहर्त्ता द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2005 को अंचल कार्यालय, बरहेट का निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित था, जिसकी सूचना उनके द्वारा पूर्व में भेज दिया गया था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 17 सितम्बर, 2005 को अपर समाहर्त्ता द्वारा बरहेट जाने पर पता चला कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरहेट जो अंचल अधिकारी, बरहेट के अतिरिक्त प्रभार में है, अवकाश पर है। प्रधान सहायक से उनके द्वारा पूछने पर बताया गया कि रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं है, जिसके कारण निरीक्षण टिप्पणी तैयार नहीं किया जा सका। निर्धारित कार्यक्रम के जानकारी के बावजूद निरीक्षण हेतु किसी प्रकार की तैयारी नहीं करना कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं गैर जिम्मेदाराना का परिचायक है। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा ज्ञापांक-1048/गो0, दिनांक 23 सितम्बर, 2005 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अचंल अधिकारी, बरहेट से स्पष्टीकरण माँगा गया कि किस स्थिति में पूर्व सूचना रहने के बावजूद अपर समाहर्त्ता के निरीक्षण हेतु समुचित तैयारी नहीं की

गई। दिनांक 12 दिसम्बर, 2004 से रोकड़ बही के लम्बित रहने का क्या कारण है तथा इसके लिए कौन जिम्मेवार है? किन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर आज तक नहीं दिया गया है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-656, दिनांक 21 जनवरी, 2012 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें विभागीय जाँच पदाधिकारी, श्रीमती शीला किस्कू रपाज, से0नि0 भा0प्र0से0 को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 33, दिनांक 31 जनवरी, 2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें इनके विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सोरेन के विरूद्ध दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं निन्दन का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। इस निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-3424, दिनांक 10 अप्रैल, 2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया एवं विभागीय पत्रांक-4255, दिनांक 9 मई, 2015 द्वारा उपायुक्त, दुमका से भी पत्र तामिला कराने का अनुरोध किया गया। इसी बीच, दिनांक 31 मई, 2014 को श्री सोरेन सेवानिवृत्त हो गये।

अतः विभागीय समीक्षोपरान्त, पूर्व में प्रस्तावित दण्ड के स्थान पर पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अन्तर्गत पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की मासिक कटौती का दण्ड तीन वर्षों तक अधिरोपित करने का प्रस्ताव सरकार द्वारा लिया गया।

अतएव विभागीय पत्रांक-7316, दिनांक 21 जुलाई, 2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री सोरेन से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सोरेन ने अपने पत्र, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया।

द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है। इनके द्वारा इसमें ऐसा कोई तथ्य समर्पित नहीं किया गया है, जो इन्हें निर्दोष प्रमाणित करता हो।

साथ ही इनके द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों के समर्थन में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अतः समीक्षोपरान्त श्री सोरेन पर पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् इनके पेंशन से 10 प्रतिशत मासिक कटौती का दण्ड तीन वर्षों तक अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय पत्रांक-2119, दिनांक 04 फरवरी, 2015 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग से श्री सोरेन के विरूद्ध पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की मासिक कटौती का दण्ड तीन वर्षों तक अधिरोपित करने हेतु सहमति की माँग की गयी एवं स्मारित भी किया गया। झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-1274, दिनांक 22 मई, 2015 के आलोक में माँगी गयी कागजात के संबंध में विभागीय पत्रांक-5401, दिनांक 17 जून, 2015 द्वारा संबंधित अभिलेख/सूचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को उपलब्ध करायी गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2564, दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 द्वारा श्री सोरेन के पेंशन से 10 प्रतिशत मासिक कटौती करने के दण्ड पर सहमति प्रदान की गयी।

अतः श्री सोरेन के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् इनके पेंशन से 10 प्रतिशत मासिक कटौती का दण्ड तीन वर्षों तक अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 350—50 ।